

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर) राजस्थान

उनवान महाराष्ट्र राज्य सरकार, अहमदाबाद मुकदमा नं० 3714

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	मन्दिरे व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/6/19	<p>बकील लाली उर्फ महाराष्ट्र राज्य सरकार का पत्र वाचल पुनः नम्बर लेने का काम के लिए बकील लाली ने थापा पुनः नम्बर लेने का पत्र संज्ञित करने का संशुद्ध किया। पत्रिका की जा. पर पत्र एक पक्षीय अहमदाबाद दफ्तर के अंतर्गत लाली बकील ने 2-पत्र लिखा कि उक्त आदेश की महाराष्ट्र राज्य सरकार की स्वातंत्र्य से सम्बन्धित है। पत्रिका बकील ने बताया कि लाली उर्फ लाली पेशी को भी मार है जहां चौकरी लाली न्यायालय द्वारा उपस्थित नहीं है रक्षा। लाली बकील उक्त दिनांक 19/3/19 को संशुद्ध लिखा गया वाच-पत्र को पुनः नम्बर लेने का निवेदन किया गया। बकील लाली की अहमदाबाद पर गौर किया गया। हाथ पर लाली उर्फ लाली दफ्तर का नम्बर लेने किया गया। वाच-पत्रिका जा. पर वाच-पत्रिका पुनः नम्बर लेने का संज्ञित आदेश पाया गया। उक्त जा. पर वाच-पत्रिका नम्बर लेने का संज्ञित किया गया। थापा पुनः उक्त संज्ञित ही मिसाल फिलहाल सुम्मा लाली नम्बर लेने का काम की जाया जाय (लाली) या बकील संज्ञित है</p>	

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)